

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

१२

प्रकरण क्रमांक /2018 पुनरीक्षण

निगरानी- 5794/2018/गुना/भू.श.

प्रबल प्रताप सिंह पुत्र हरवीर सिंह

नाबालिग द्वारा संरक्षक दादी

कमरबाई पत्नी रामसिंह यादव

ग्राम-सोजना बजरंगढ़ रोड़, गुना म.प्र.

विरुद्ध

1. हरवीर सिंह पिता राम सिंह

निवासी ग्राम-विनायक खेड़ी

तहसील व जिला-गुना म.प्र.

2. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर जिला-गुना



अनुविभागीय अधिकारी गुना द्वारा प्रकरण क्रमांक-5/पुनर्विलोकन/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 28/03/2018 के पुनरीक्षण हेतु आवेदन अंतर्गत धारा-50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959.

201

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5794/2018/गुना/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-11-18	<p>आवेदकपक्ष की ओर से श्री एस0के0वाजपेयी अधिवक्ता उपस्थित । आवेदक पक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधनके फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । आवेदक पक्ष दिनांक 07-01-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p> <p> अध्यक्ष</p> <p> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>	